न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर ग्रामीण) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 394/2021

जीसीएमएस नं. :– 2022/143

प्रार्थी :–
जेतली पत्नि पुरखाराम जाति कुम्हार
निवासी पटेल नगर तहसील बिलाडा
जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. सरकार जरिये भूमिधारी
तहसीलदार, पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

दर्ज दिनांक :–16.07.2021

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री अशोक कुमार पटेल प्रार्थीगण की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

" आदेश "

दिनांक :–15.01.2024

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि प्रार्थीया ग्राम पटेल नगर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राजस्थान के मूल निवासी है । ग्राम बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1717/1 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थीया के नाम से खातेदारी दर्ज है तथा प्रार्थीया मौके पर काबिज है । प्रार्थी का मौके पर पूर्ण रूप से कब्जा है तथा उक्त खसरे की भूमि के चारो तरफ सुरक्षा हेतु बाड़ व तारबन्दी की हुई है । प्रार्थीया का कब्जा आंवटन से निर्विवाद रूप से चला आ रहा है ।वादग्रस्त भूमि का राजस्व कर्मचारीयो की भूल के कारण वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जा अनुसार नक्शे में तरमीम नही की गई है तथा उक्त खसरा की गलत तरमीम कर दी गई है। जिसे मौके पर विवाद को समाप्त करने के लिये एवं शुद्धिकरण के लिये अप्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा को निवेदन किया मगर उन्होने कब्जा अनुसार दुरूस्ती करने से दिनांक 01.07.2021 को स्पष्ट इन्कार कर दिया है तो न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू रिकोर्ड नियमों के अनुसार पटवारी द्वारा कब्जे के अनुसार पैमाईसी कर पैन्सिली तरमीम की जाती है तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके की जांच कर लाल स्याही से पुख्ता की जाती है मगर नियमों की पालना नही की है तथा नजरी नक्शे मे मन माने ढंग से मार्क "जी "एल"के"जे"एच"आई" गलत तरमीम कर दी है तथा प्रार्थीया की जमीन जहां तरमीम की गई है वहां पर प्रार्थीया की एक दूसरे की गलत तरमीम कर दी गई है जिससे मौके पर विवाद खड़ा कर दिया है। मौके एवं रिकोर्ड

(h)

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

की स्थिति भिन्न भिन्न है। जबकि प्रार्थीया की जमीन मार्क ''ए''बी''सी''डी''इ''एफ'' जो कब्जे के अनुसार सही है जो गत नक्शे में दर्ज है मगर वर्तमान नक्शे मे गलत तरमीम कर दी गई मौके एवं रेकार्ड की पूर्व में की गई तरमीम व मौके एवं कब्जे अनुसार तरमीम करने हेतु तहसीलदार, बिलाडा को आदेश फरमाया जावे । ताकि मौके एवं रिकोर्ड की एक रूपता हो सके तथा भविष्य मे कोई विवाद उत्पन्न नही हो ।वादग्रस्त भूमि ग्राम बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर में स्थित होने एवं श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से उक्त प्रार्थना–पत्र को सुनवाई का एक मात्र अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर की सरहद मे स्थित प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1717/1 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ भूमि की वर्तमान मे की गई तरमीम मार्क ''जी''एल''के''जे''एच''आई'' को निरस्त कर नये सिरे से मौके व कब्जे अनुसार संलग्न ट्रेस नक्शा मे दर्शाये मार्क ''ए''बी''सी''डी''इ''एफ'' अनुसार व कब्जे के अनुसार प्रार्थीया की भूमि का राजस्व रेकर्ड नक्शे मे नये सिरे से सही व दुरूस्त तरमीम करने के लिये अप्रार्थी को आदेश जारी किया जावे। तथा वर्तमान राजस्व नक्शे मे की गई तरमीम मार्क ''जी''एल''के''जे''एच''आई'' को निरस्त किया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ और तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम बोरून्दा के राजस्व रेकर्ड खसरा नम्बर 1717/1 रकबा 0.3236 हैक्टयर किस्म किस्म बारानी चतुर्थ भूमि का मौका अनुसार उक्त खसरे की तरमीम डीएलआरएमपी योजना के अन्तर्गत की गयी तरमीम सही नही है। जबकि डीएलआरएमपी के तहत की गई तरमीम मौके पर कब्जा एवं तारबन्दी के अनुसार नही की गई है। उक्त खसरो की तरमीम शुद्धी की जाती है तो कोई आपत्ति नही है ।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जिसमें वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1717/1 रकबा 0.3236 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ भूमि की वर्तमान मे की गई तरमीम मार्क ''जी''एल''के''जे''एच''आई'' को निरस्त कर नये सिरे से मौके व कब्जे अनुसार संलग्न ट्रेस नक्शा मे दर्शाये मार्क ''ए''बी''सी''डी''इ''एफ'' अनुसार व कब्जे के अनुसार प्रार्थीया की भूमि का राजस्व रेकर्ड नक्शे मे नये सिरे से सही व दुरूस्त तरमीम करने के लिये अप्रार्थी को आदेश जारी किया जावे। तथा वर्तमान राजस्व नक्शे मे की गई तरमीम मार्क

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

''जी''एल''के''जे''एच''आई'' को निरस्त किया जावे। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने तरमीम शुद्धि बाबत् अनापति जाहिर की है ।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं वकील प्रार्थी द्वारा बहस में बताये बिन्दुओं एवं तहसीलदार जवाब अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बोरून्दा के राजस्व रेकर्ड खसरा नम्बर 1717/1 रकबा 0.3236 हैक्टयर किस्म किस्म बारानी चतुर्थ का नाप चौप करवा कर तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त फर्द मौका दिनांक 16.12.2022 अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें एवं फर्द मौका दिनांक 16.12.2022 को आदेश का भाग समझा जावें। चुंकि उक्त भूमि, भूमि विकास बैंक मे रहन है, रहन मुक्ति पश्चात ही उक्त आदेश की पालना की जावे।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 15.01.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर